-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 04.08.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना कोतवाली पुलिस द्वारा असली सोने के सिक्कों के नाम पर नकली सिक्के देकर ठगी करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। अभियुक्त के कब्जे से ठगी के शत प्रतिशत माल 03 लाख रुपए व 05 नकली सिक्के बरामद।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाए जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के निकट पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर सुश्री मेविस टॉक के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा चोरी/टप्पेबाजी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। गौरतलब है कि दिनांक 02.08.2026 को जनपद हमीरपुर के थाना राठ क्षेत्र निवासी रामसिंह द्वारा थाना कोतवाली नगर पर सूचना दी गई कि उसके साले की जान-पहचान के व्यक्ति कमलेश कुमार द्वारा दिनांक 23.07.2026 को पुराने एवं बहुमूल्य सोने के सिक्के बेचने का झांसा देकर उसके साथ ठगी की गई। अभियुक्त द्वारा असली सोने के सिक्कों के स्थान पर नकली/कम कीमत के सिक्के देकर उससे करीब ₹3,00,000/- की ठगी की गई। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत करते हुए अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया था। अभियुक्तों की पहचान एवं गिरफ्तारी के लिए वैज्ञानिक एवं तकनीकि साक्ष्यों का संकलन एवं विश्लेषण करते हुए, मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में आज दिनांक 04.08.2026 को सुबह थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा गश्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर घटना को अंजाम देने वाले अभियुक्त को मवई बाइपास से गिरफ्तार कर लिया गया। तलाशी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से ठगी के ₹3,00,000/- नकद व 05 नकली सिक्के बरामद हुए। जांच में पाया गया कि अभियुक्त द्वारा ग्राहक को विश्वास दिलाने के लिए पुराने सिक्के एवं उन पर अंकित लेख आदि दिखाए जाते थे। सौदा तय होने के बाद रकम प्राप्त कर अभियुक्त द्वारा असली सोने के सिक्कों के स्थान पर नकली/कम कीमत के सिक्के देकर ठगी की जाती थी। इस सम्बन्ध में पुलिस टीम द्वारा और गहनता से जांच की जा रही है कि इनके द्वारा और किन-किन स्थानों और कितने से लोगों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया है साथ ही इनके आपराधिक इतिहास के बारे में भी जानकारी की जा रही है।

बरामदगी-

- 03 लाख रुपए नकद (चोरी/टप्पेबाजी के)
- 05 सिक्के काले रंग के

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कमलेश पुत्र रामप्रताप निवासी बीरमपुर थाना फतेहगंज जनपद बांदा।

पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0सं0 384/26 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. श्री बलराम सिंह प्र0नि0 थाना कोतवाली नगर
2. आशुतोष त्रिपाठी चौकी प्रभारी सिविल लाइन
3. कां0 अंकित यादव
4. कां0 नितेन्द्र कुमार